संख्या–2059 / 9–आ–6–2001–135यू0सी0 / 99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा,
कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी व गोरखपुर।
2. सक्षम प्राधिकारी,
नगर भूमि सीमारोपण,
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा,
कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी व गोरखपुर।

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक– 23 अक्टूबर, 2001

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम–1976 के निरसित हो जाने के उपरान्त शासन में धारा 10(3) में निहित हो चुकी भूमि के बारे में ऐसी स्थिति में जब 10(5) अथवा 10(6) की कार्यवाही स्पष्ट न हो।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में शासन द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के आलोक में निम्न शासनादेश जारी किये गये हैं :–
I शासनादेश संख्या 777 / 9आ–6–2000–135 यू0सी0 / 99 दिनांक 9 फरवरी, 2000
II शासनादेश संख्या 1623 / 9आ–6–2000–1011 यू0सी0 / 2000 दिनांक 9 अगस्त, 2000
III शासनादेश संख्या 190 / 9आ–6–2000–135 यू0सी0 / 99 दिनांक 24 मार्च, 2001

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये है कि उक्त शासनादेशों के निर्गत होने के उपरान्त भी भू–धारकों की भूमि के निस्तारण में कठिनाइयां आ रही है। इनमें मुख्य रूप से मामले जिनमें धारा 10(5) की नोटिस तो जारी कर दी गयी थी परन्तु सम्बन्धित भू–धारक के स्वेच्छा से कब्जा देने अथवा धारा 10(6) के अधीन कार्यवाही करने का कोई विशिष्ट अभिलेख न होने की स्थिति में अधिनियम निरसन के फलस्वरूप ऐसी भूमि के प्रत्यावर्तन की क्या स्थिति होगी पर संशय बना है। शासन द्वारा प्रकरण पर गम्भीरतापूर्वक विचारोपरान्त यह पाया गया कि ऐसे प्रकरणों पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3(1)(ए) के प्राविधान के अनुसार यदि रिक्त भूमि को नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा–10(3) के तहत राज्य सरकार में निहित की गई है और ऐसी भूमि का कब्जा राज्य सरकार के द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ले लिया गया है और कब्जे का पुष्ट प्रमाण है तो ऐसी अतिरिक्त रिक्त भूमि राज्य सरकार में अंतिम रूप से निहित मानी जायेगी। ऐसे में यदि किसी कारण से नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम की धारा 10(5) व 10(6) के नोटिस एवं कार्यवाही विषयक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी राज्य सरकार में अन्तिम रूप से निहित भूमि प्रत्यावर्तित नहीं होगी, क्योंकि यह सुस्थापित विधिक व्यवस्था है कि यदि भूमि राज्य सरकार में निहित हो गयी है तो ऐसी भूमि तब तक मूल स्वामियों को प्रत्यावर्तित नहीं होगी जब तक की अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि भूमि का कब्जा ले लेने के बाद यदि मूल अधिनियम की धारा 10(5) व 10(6)

के प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होंगे तो राज्य सरकार में निहित भूमि मूल भूस्वामियों को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया संबंधित प्रकरणों में नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण उपर्युक्त व्यवस्थानुसार यथाशीघ्र करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, वाराणसी को पत्र संख्या 288/न0भू0सी0वारा0/2001–2002 दिनांक 20 जून, 2001 के संबंध में।
3. श्री शतरूद्र पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,

अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव